कार्यालय– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची– 2

पत्रांक– **दिनांक–**

प्रेषक,

जे०बी० जौहर, भा0व0से0,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची- 2

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची ।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2011-12 में **लघु वन पदार्थो का उन्नयन योजना (अन्य क्षेत्रीय उपयोजना) खैर वनरोपण** के अन्तर्गत **1152.00** हे० क्षेत्र में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष), हेतु **210.505** रू0, समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **180.285** रू0, सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु **59.331** रू0, एवं सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु **41.472** रू0, **कुल 491.593 लाख (चार करोड़ इक्कानबे लाख उनसठ हजार तीन सौ रू0 मात्र)** की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में अग्रिम कार्य हेतु **210.505 लाख (दो करोड़ दस लाख पचास हजार पाँच सौ रू0 मात्र)** का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

सूचित करना है कि लघु वन पदार्थ उन्नयन योजना (अन्य क्षेत्रिय उपयोजना) के अन्तर्गत खैर वृक्षा रोपण कि जाने का प्रस्ताव है।

2. यह योजना खैर वन रोपण के लिए निर्धारित दर पर की जायगी। इस योजना को चार वर्षो में पुरा करने का प्रस्ताव है। इस योजना अन्तर्गत प्रथम वर्ष अग्रिम कार्य किए जातें हैं जिसमें पौधशाला में पौधा तैयार करना, सर्वे एवं सीमांकन, झाड़ी सफाई, भू-संरक्षण कार्य, घेरान कार्य, गड्ढा खोदना, इन्ट्री पॉइन्ट कार्य एवं अन्य विविध कार्य किए जाते हैं। द्वितीय वर्ष में पौधाशाला में पौधों की सिंचाई वनरोपण स्थल पर पौधा रोपण ट्रेंच के वर्म पर बीज रोपण, दो निकौनी-कोड़नी, सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य किए जाते हैं। तीसरे वर्ष में एक निकौनी-कोड़नी, उर्वक डालना, गड्ढा घेरान मरम्मति, मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना तथा सुरक्षा का कार्य किया जाता है। चतुर्थ वर्ष में सम्पोषण कार्य के तहत् एक निकौनी-कोड़नी एवं सुरक्षा का कार्य किया जाता है। इस प्रकार चार वर्षो में यह योजना पुरी होती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में 1152 हे0 में खैर वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य किया जाएगा। चार वर्षो की पूर्ण कार्य विवरणी एवं वन प्रमण्डल वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा स्थल विवरणी अनुलग्नक 1क एवं ख पर द्रष्टव्य है।

3. वर्ष 2008-09 में बजट मुख्य शिर्ष 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन, उप-मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-03-लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजनान्तर्गत निम्न बजट उपबंध स्वीकृत है। **(द्वितीय अनुपूरक आगणन पृष्ठ संख्या 77, विनियोग माँग संख्या-19)**

क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग के बाद बजट उपबंध	अनुपूरक के बाद बजट उपबंध	अबतक स्वीकृत राशि	शेष राशि
1	मजदूरी	228.715	285.353	476.769	285.353	191.416
2	आपूर्ति एवं सामग्री	221.285	164.647	39.420	20.205	19.215
	कुलः-	**450.00**	**450.00**	**516.189**	**305.558**	**210.631**

4. इस योजना अंतर्गत वनरोपण का कार्य अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (विकास), झारखण्ड, राँची के स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जायेगा एवं मजदूरी 90.00 रू0 प्रति मानव दिवस होगी। कार्यदर की सूची अनुलग्नक 2 क, ख पर संलग्न है।

5. उपलब्ध राशि **335.858 लाख (तीन करोड़ पैंतिस लाख पचासी हजार आठ सौ रूपया मात्र)** में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 में निम्न भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रस्तावित है:-

क्र० सं०	भौतिक लक्ष्य (वित्तीय वर्ष 2008-09)	प्राथमिक इकाई		कुल वित्तीय लक्ष्य रू0 (लाख में)
		मजदूरी	सामग्री एवं पूर्तियां	
1	1152 हे0 में खैर वनरोपण का अग्रिम कार्य	191.290	19.215	210.505
	कुलः-	**191.290**	**19.215**	**210.505**

(दो करोड़ दस लाख पचास हजार पांच सौ रूपये मात्र)

6. इस योजना के कार्यान्वयन से वत्तीय वर्ष 2008-09 में 1.94 लाख मानव दिवस का सृजन होगा।

7. वित्तीय वर्ष 2008-09 में कार्यान्वित की जाने वाली योजना हेतु अनुलग्नक 1 क एवं ख पर वर्णित पदाधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

8. स्थल सूची अनु0 3 क,ख पर द्रष्टव्य है।

अत: अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित कार्य से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस वर्ष किये जाने वाले अग्रिम कार्य का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा करें।

अनु०यथोक्त ।

आपका विश्वासी,

ह0/-

(जे०बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, रांची- 2

ज्ञापांक:- दिनांक:-

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक विकास (अन्य क्षेत्र) तथा उप वन संरक्षक, योजना अनुश्रवण मूल्यांकन प्रकोष्ट, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवई हेतु प्रेषित ।

(जे०बी० जौहर)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

झारखण्ड, रांची- 2